भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 103

बुधवार, 07 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

ईएसजी संकेंद्रित स्टार्टअप्स

103. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जलवायु परिवर्तन और कृषि क्षेत्र में और अधिक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) भारतीय स्टार्टअप्स को और अधिक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) केंद्रित बनाने के लिए सहायता देने और प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का अनिवार्य रूप से ईएसजी अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल, अवर स्नातक तथा स्नातक स्तर पर शिक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा कंपनियों (विशेष रूप से स्टार्टअप्स) को उनके क्रिया-कलापों की 'ग्रीनवॉशिंग' करने से रोकने के लिए क्या नियम/दिशानिर्देश बनाए गए हैं/बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ड.) भारतीय ईएसजी उद्यमों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क), (ख) और (ड.): सरकार ने देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मजबूत इकोसिस्टम के निर्माण के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

इस पहल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया हेतु कार्य योजना शुरु की है जो देश में गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण के लिए परिकल्पित सरकारी सहायता, स्कीमों और प्रोत्साहनों की आधारशिला रखती है। इस कार्य योजना में 19 कार्य मदें शामिल हैं जो 'सरलीकरण और सहायता', 'निधीयन सहायता और प्रोत्साहन' तथा 'उद्योग-शिक्षा जगत भागीदारी तथा इन्क्यूबेशन' जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं।

इस दिशा में सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2016 के 452 से बढ़कर वर्ष 2022 में 84,012 (30 नवंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार) हो गई है।

जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं, स्टार्टअप्स और उद्योग के जरिए "नवीरकणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम" में सहायता प्रदान करता है ताकि देश भर में कुशल और किफायती तरीके से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोगों हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और विनिर्माण को सक्षम बनाया जा सके जिसका लक्ष्य देश में मिश्रित ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाना है।

एमएनआरई उद्योग के सहयोग से अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास प्रस्तावों को भी प्रोत्साहित करता है तथा सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को 100 प्रतिशत तक तथा उद्योग, स्टार्टअप्स, निजी संस्थानों, उद्यमियों एवं विनिर्माण इकाइयों को 50 से 70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवप्रयोग और कृषि-उद्यमशीता विकास (आरकेवीवाई-रफ्तार) नामक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य इन्क्यूबेशन इकोसिस्टम में कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर नवप्रयोग और कृषि उद्यमशीलता का संवर्धन करना है जिसमें कृषि में डिजिटल समाधान शामिल हैं। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए, देश भर में 5 नॉलेज पार्टनर (केपी) को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में तथा 24 आरकेवीवाई-रफ्तार एग्रीबिजनेस इंक्यूबेटर्स (आरएबीआई) नियुक्त किया गया है।

नवप्रयोग और कृषि-उद्यमशीता विकास कार्यक्रम के तहत एग्रीटेक स्टार्टअप्स सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कुल 799 स्टार्टअप्स को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) वर्ष 2016-17 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि नवप्रयोग निधि (एनएआईएफ) नामक परियोजना के तहत कृषि आधारित स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान कर रहा है। इसके 2 घटक नामत: ।) नवप्रयोग निधि; ।।) इन्क्यूबेशन निधि और राष्ट्रीय समन्वय इकाई (एनसीयू) हैं। एनएआईएफ स्कीम के तहत आईसीएआर एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स स्टार्टअप्स/उद्यमियों को नई प्रौद्योगिकियों तथा अन्य इन्क्यूबेशन सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराते हैं।

उपर्युक्त के अलावा, जलवायु और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्टार्टअप्स इंडिया पहल के तहत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय **अनुबंध-।** पर दिए गए हैं।

(ग): शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के अनुसार पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन संबंधी चिंताओं, संकल्पनाओं और मुद्दों को स्कूल के मौजूदा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार की गई पाठ्यक्रम सामग्री में स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में सभी विषयों में इन चिंताओं को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है। एनसीईआरटी ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित सहायक सामग्री भी तैयार की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भी इसके संरक्षण और सतत विकास की दिशा में स्कूल के पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय जागरुकता और संवेदनशीलता को उचित रूप से समाहित करने पर जोर देती है।

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) भी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन और राष्ट्रीय नवप्रयोग प्रतियोगिता आयोजित करती है जिसमें पर्यावरण/निरंतरता और कृषि भी एक विषय के तौर पर शामिल होते हैं ताकि उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों से अच्छे आइडियाज और नवप्रयोग प्राप्त किए जा सकें। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन और राष्ट्रीय नवप्रयोग प्रतियोगिता के विभिन्न संस्करणों से विभिन्न विषयों में स्टार्टअप्स की क्षमता वाले 75 आइडियाज को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ): ग्रीनवाशिंग की चिंताओं का समाधान करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ईएसजी रेटिंग प्रोवाइडर्स (ईआरपी) को विनियमित करने के लिए विनियामक रूप-रेखा का प्रस्ताव किया है। सेबी ने प्रतिभूति बाजार में ईएसजी संबंधी मामलों पर सलाह करने के लिए सलाहकार समिति का गठन भी किया है।

*****

अनुबंध-।

दिनांक 07.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 103 के भाग (क), (ख) और)ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

<u>स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत शुरू किए गए कार्यक्रम</u>

देश भर में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

1. **<u>स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना :</u>** 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना का अनावरण किया गया था। कार्य योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षाविद साझेदारी और इंक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैली 19 कार्य मद शामिल हैं। इस कार्य योजना ने देश में एक वाईब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम के सृजन के लिए सरकारी सहायता, स्कीमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी है ।

2. **<u>स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) स्कीम :</u>** सरकार ने स्टार्टअप्स की निधीयन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ एफएफएस स्थापित किया है। डीपीआईआईटी एफएफएस की निगरानी एजेंसी है तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इसकी प्रचालन एजेंसी है। 10,000 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस को स्कीम की प्रगति और निधि की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसने न सिर्फ प्रारंभिक चरण में, शुरूआती स्तर और विकास स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है बल्कि घरेलू पूंजी एकत्र करने की सुविधा के संदर्भ में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम किया है और घरेलू रूप से विकसित और नये वेंचर कैपिटल फंड को बढ़ावा दिया है।

3. **<u>स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस):</u>** सरकार ने सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेट फंड्स (वीडीएफ़) द्वारा डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरूआत की है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं जैसे डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा तक दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।

4. **<u>विनियामक सुधार</u>:** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, पूंजी जुटाने को आसान बनाने और स्टार्टअप परिवेश पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वर्ष 2016 से सरकार ने 50 से अधिक विनियामक सुधार किए हैं।

5. **<u>अधिप्राप्ति को आसान बनाना:</u>** अधिप्राप्ति को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयो/विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे गुणवत्ता और तकनीकि विशिष्टताओं को पूरा करने वाले सभी स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति में पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव की शर्तों में छूट प्रदान करें। इसके अलावा, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) स्टार्टअप रनवे विकसित किया गया है जो स्टार्टअप्स के लिए सरकार को सीधे उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए एक समर्पित स्थान है।

6. **<u>बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता</u>:** स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) की शुरूआत की है जो स्टार्टअप्स को पंजीकृत सुविधा प्रदाताओं के जरिये उपयुक्त आईपी कार्यालयों में केवल सांविधिक शुल्क का भुगतान करके पेटेंट डिजाइन तथा व्यापार चिह्न के लिए आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर संबंधी सामान्य परामर्श तथा अन्य देशों में आईपीआर का संरक्षण एवं संवर्धन करने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तर दायी हैं। सरकार पेटेंट, व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं के पूरे शुल्क को वहन करती है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो तथा स्टार्टअप्स केवल देय सांविधिक शुल्क की लागत को वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को अन्य

कंपनियों की तुलना में पेटेंट फाइल करने में 80 प्रतिशत की छूट तथा व्यापार चिह्न फाइल करने में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

7. **<u>श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन:</u>** स्टार्टअप्स को निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए, 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत उनके अनुपालन के स्व-प्रमाणित करने के लिए अनुमति दी जाती है।

8. **<u>3 वर्ष के लिए आयकर में छूट:</u>** 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप्स आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्राप्त है, उन्हें निगमन से लेकर 10 वर्ष की अवधि में से लगातार 3 वर्षों के लिए आयकर से छूट मिलती है।

9. **<u>भारतीय स्टार्टअप्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच:</u>** स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक विभिन्न संपर्क मॉडलों के जरिये भारतीय स्टार्टअप परिवेश को वैश्विक स्टार्टअप परिवेशों के साथ जुड़ने में मदद करना है। यहां अंतर्राष्ट्रीय रूप से सरकार से सरकार के बीच भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी तथा वैश्विक समारोहों के आयोजन के जरिये किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने 15 से अधिक देशों (ब्राजील, स्वीडन, रूस, पुर्तगाल, यूके, फिनलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, क्रोएशिया, कतर और यूएई) के साथ संपर्क स्थापित किया है जो भागीदार राष्ट्रों के स्टार्टअप्स के लिए सुविधाजनक प्लेटफॉर्म और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है।

10. **<u>स्टार्टअप के लिए त्वरित निकास</u> :** सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्म' के रूप में अधिसूचित किया है जिससे वे अन्य कंपनियों के लिए निर्धारित 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर प्रचालन का समापन करने में सक्षम होते हैं।

11. **<u>स्टार्टअप इंडिया हब</u> :** सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब का शुभारंभ किया है जो भारत में उद्यमिता परिवेश के सभी हितधारकों के लिए अपनी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ताकि वे एक-दूसरे का पता लगाया जा सके, जुड़ा जा सके और संलग्न हुआ जा सके। ऑनलाइन हब स्टार्टअप्स, निवेशकों, फंड्स, मेंटर्स, शैक्षणिक संस्थानों, इन्क्यूबेटर्स, कार्पोरेट, सरकारी निकायों और अन्य को होस्ट करता है।

12. **<u>अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (vii) (ख) के प्रयोजन के लिए छूट (2019):</u>** डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(vii)(ख) के प्रावधानों से छूट के पात्र हैं।

13. **<u>स्टार्टअप इंडिया शोकेस</u> :** स्टार्टअप इंडिया शोकेस वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित विभिन्न डीपीआईआईटी और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए देश के सर्वाधिक संभावना वाले स्टार्टअप्स के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शाए गए स्टार्टअप अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम स्टार्टअप के रूप में उभरे हैं। ये नवप्रयोग अन्य के साथ-साथ फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सामाजिक प्रभाव, हेल्थटेक, एडटेक जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों से हैं। इन स्टार्टअप्स ने महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया है और अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट नवप्रयोग दर्शाया है। परिवेश संबंधी हितधारकों को पोषित किया है और सहायता प्रदान की है और इस प्रकार इस मंच पर अपनी उपस्थिति को वैध ठहराया है।

14. **<u>राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद</u> :** सरकार ने देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप को बढावा देने के लिए एक सशक्त परिवेश के निर्माण हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी, 2020 राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद को अधिसूचित किया ताकि सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सके। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त इस परिषद में कई गैर-सरकारी सदस्य है जो स्टार्टअप परिवेश के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

15. **<u>स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह :</u>** स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने पर समारोह में स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह का शुभारंभ 16 जनवरी 2021 को किया जिसमें स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग

बिजनेस के प्रोत्साहन के लिए कार्रवाई योग्य योजना, विभिन्न सुधारों को लागू करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों की क्षमता निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाना शामिल है।

16. **<u>स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस):</u>** किसी उद्यम के विकास के आरंभिक स्तरों पर उद्यमों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता अनिवार्य है। इस स्तर पर अपेक्षित पूंजी, बेहतर व्यवसाय आइडिया वाले स्टार्टअप्स के लिए बने रहने या समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इस स्कीम का उद्देश्य संकल्पना के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से आरंभ करके 4 वर्षों की अवधि के लिए एसआईएसएफएस स्कीम के अतंर्गत 945 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

17. **<u>राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार:</u>** राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम इनेब्लर्स की पहचान करने और पुरस्कृत करने की एक पहल है जो अभिनव उत्पादों या समाधानों और विकासयोग्य उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें रोजगार सृजन या संपत्ति सृजन की अत्यधिक क्षमता है और माप-योग्य सामाजिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। सभी अंतिम प्रतिभागियों को इन प्रमुख मामलों यथा निवेशक कनेक्ट, मेंटरशिप, कार्पोरेट कनेक्ट, गवर्नमेंट कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच, विनियामक सहायता, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत लाभ, दूरदर्शन पर स्टार्टअप इंडिया चैंपियन और स्टार्टअप इंडिया शोकेस के संबंध में पथप्रदर्शन सहायता प्रदान की जाती है।

18. **<u>राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ़):</u>** यह प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप परिवेश बनाने के लिए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क अपनी तरह की पहली पहल है। रैंकिंग करने का प्रमुख उद्देश्य बेहतर परिपाटियों की पहचान करने, सीखने और दोहराने के लिए राज्यों को सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत कार्यकलाप को उजागर करना और सर्वोत्तम स्टार्टअप परिवेश तैयार करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

19. **<u>दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन</u>:** पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की कहानियों को कवर करते हुए दूरदर्शन पर एक-दिवसीय साप्ताहिक कार्यक्रम नामतः स्टार्टअप चैम्पियन दिया गया। इसे दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर हिन्दी और अङ्ग्रेज़ी में प्रसारित किया गया है।

20. **<u>स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह :</u>** सरकार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह का आयोजन करती है जिसका मुख्य लक्ष्य देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, निधीयन इकाइयों, बैंकों, नीति निर्माता और अन्य राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमियता और नवप्रयोग को बढ़ावा देने के इस समारोह में एक साथ लाना था।

*****